

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 323 / 2008

दर्ज दिनांक:-17.07.2008

1. कमलसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. किशनसिंह पता—अप्रार्थीगण

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 14.09.2018

वकील वादीगण उपस्थित बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण तलवी नहीं कराई गई है। रजिस्टर एडी से तलवी कराने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया है। किन्तु पालना नहीं की गई दिनांक 09.07.2018 को भी तलवी के अभाव में दावा को अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है।

अतः दावा वादीगण ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है।
दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर